महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या: 44/2017/884**/33-3-2017-154/2014** टी.सी.

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 16 मई, 2017**

विषय: स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत दो गड्ढ़ा युक्त पोर-फ्लश शौचालयों की उपयोगिता हेतु जागरूकता पैदा करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री परमेश्वरन अईय्यर, सचिव भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 2/2/Secy(DWS)/16 दिनांक 06 अप्रैल, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें(प्रति संलग्न), जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित होने वाले दो गड्ढ़ा युक्त पोर-फ्लश शौचालयों की उपयोगिता एवं रखरखाव(गड़ढो को खाली करने) के सम्बन्ध में ग्रामीण समुदाय को जागरूक करने हेतु दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अभियान का प्रमुख उद्देश्य ग्रामों को खुले में शौच मुक्त बनाना है। इस हेतु यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार के साथ-साथ सार्वजनिक/समुदायिक संस्थाओं द्वारा मानव मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का प्रयोग किया जाये। यह ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, जिसके दृष्टिगत कार्यक्रम के अन्तर्गत दो गड्ढ़ा युक्त पोर-फ्लश शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योकि इस प्रकार के शौचालय में गड्ढ़े में ही मानव मल शुद्ध कम्पोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है। इससे पृथक तकनीकी के शौचालयों का निर्माण तभी किया जाना चाहिये जब सम्बन्धित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों/टोपोग्राफी के दृष्टिगत दो गड्ढ़ा युक्त पोर-फ्लश शौचालयों का निर्माण सम्भव न हो या विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित परिवार अन्य तकनीकी का ही शौचालय बनाना चाहता हो।

http://shasanadeshup.nic.in

3-दो गड्ढ़ा युक्त पोर-फ्लश वाटर सील शौचालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फायदे हैं:-

1)-शौचालय का एक गड्ढ़ा 06 सदस्यीय परिवार के लगभग 05 वर्ष नियमित प्रयोग के उपरान्त भरता है।

2)-पहला गड्ढ़ा भर जाने पर दूसरे गड्ढ़े को जंक्शन चैम्बर से आसानी से जोड़कर शौचालय का प्रयोग किया जा सकता है।

3)-गड्ढ़ा भरने के 06 माह से 01 वर्ष के अन्दर मानव मल सड़कर (Anaerobic decomposition) शुद्ध कम्पोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है।

4)-इस प्रकार से तैयार खाद प्रयोग के लिए सुरक्षित होता है तथा NPK (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम) के प्रचुर मात्रा में होने के कारण कृषि के लिए अत्यन्त उपयोगी होता है।

उक्त के दृष्टिगत शौचालय की यह तकनीक सबसे सुरक्षित, सस्ती एवं पर्यावरण अनुकूल(Eco-friendly) तकनीक के रूप में ग्रामीण समुदाय हेतु अपनाई गयी है।

4- उक्त के उपरान्त भी कहीं-कहीं पर ग्रामीण समुदाय द्वारा इस प्रकार की भ्रान्ति पैदा कर ली गयी है कि दो गड्ढ़े वाले शौचालयों की कम लागत होने के कारण यह तकनीक गरीबों एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए विकसित की गई है। इस कारण से सुविधा सम्पन्न परिवार अन्य तकनीकी विकल्पों यथा सेप्टिक टैंक को अपनाते है ,जो तुलनात्मक दृष्टि से असुरक्षित एवं मंहगा है तथा भर जाने पर गड्ढ़े को खाली करना भी कठिन होता है क्योंकि उसमें एकत्रित मानव मल सड़कर कम्पोस्ट खाद में परिवर्तित नहीं हो पाता है।

5- इसके अतिरिक्त विभिन्न शोधों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि भारत सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संस्तुत कम लागत के दो गड्ढ़ा युक्त पोर-फ्लश शौचालयों के निर्माण एवं उपयोग में कुछ ग्रामीण परिवारों द्वारा शौच गड्ढे के भर जाने पर उसकी सफाई को लेकर अरूचि देखी गई। उल्लेखनीय है कि अभी भी कुछ ग्रामीण समुदायों में यह मिथकों (Myths) , पूर्वाग्रह (Biases) एवं अभिशाप (Stigma) व्याप्त है कि मानव मल की हैन्डलिंग एक खास कमजोर वर्ग ही कर सकता है। समाज में व्याप्त इस अभिशाप को दूर किया जाना आवश्यक है। अभी भी ग्रामीण समुदाय इस जानकारी से वंचित है कि दो गड्ढ़ा युक्त पोर-फ्लश शौचालय के गड्ढ़े का मल किस प्रकार कम्पोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है तथा यह ग्रामीणों की आय का एक माध्यम भी है। यदि ग्रामीण समुदाय को इस तथ्य की जानकारी भलीभांति दी जाए तो निश्चित रूप से इस तकनीकी के शौचालयों के निर्माण एवं उपयोग में ग्रामीण समुदाय की रूचि बढे. गी।

6- यद्यपि पूर्व के वर्षो में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को उक्त तथ्यों से अवगत कराने के प्रयास किये जाते रहे हैं, परन्तु अब समय आ गया है कि समाज में व्याप्त उक्त मिथकों (Myths) पूर्वाग्रहों (Biases) एवं कलंक (Stigma) को दूर करने की दिशा में प्रदर्शन के साथ-साथ व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत कर इसे दूर किया जाए। इसी कड़ी में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शौच गड्ढ़ों को खाली करने के कुछ

http://shasnadesh.up.nic.in

प्रदर्शन आयोजित किये थे जिसमें माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा अभिनेता अक्षय कुमार ने व्यक्तिगत रूप से शौच गड्ढ़ो को साफ कर ग्रामीण समुदाय को एक संदेश दिया। पूरे देश में दो गड्ढ़े वाले शौचालय की उपयोगिता एवं महत्व के प्रसार के दृष्टिकोण से इस प्रकार के प्रदर्शनों एवं प्रयासों को बृहद स्तर पर आयोजित किये जाने की आवश्यकता है। शौचालय गड्ढ़ो को साफ करने हेतु आयोजित प्रदर्शनों में विशिष्ट महानुभावों, राजनैतिक हस्तियों, समुदाय के राय प्रदाताओं (Opinion leaders) एवं वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर आमंत्रित किया जाए। इस प्रकार के आयोजन प्रदेश स्तर पर, मण्डल स्तर पर, जिला स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किये जाएं।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दो गड्ढ़ा युक्त पोर-फ्लश शौचालयों की उपयोगिता के प्रसार हेतु गड्ढ़ो की सफाई के सम्बन्ध में ग्रामीण समुदाय के समक्ष उक्त आयोजन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(**चंचल कुमार तिवारी**)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक**:-** तदेव।

प्रतिलिपि**:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2-स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3-स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4-निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

5-मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उ0प्र0।

6-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

7-समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।

8-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in